# बिहार सरकार
## कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ0 बजट–आवंटन–08/2014– 05(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 28-04-2014

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन
विशेष सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉटिकल्चर रिसर्च सेन्टर तथा इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक तथा फिसरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर की स्थापना, उक्त संस्थानों की स्थापना के लिए पाँच वर्षो में कुल 992.00 (नौ सौ बेरानबे) करोड़ रू० व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति, स्थापना मद में प्रस्तावित पदों तथा इस पर होने वाले व्यय की समीक्षा करने तथा समीक्षोपरांत पुनः राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने, आधारभूत संरचना के विकास हेतु वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 तक 562.50 करोड़ (पाँच सौ बासठ करोड़ पचास लाख) रूपये की लागत से प्रशासनिक स्वीकृति, आकस्मिकता मद में 50.00 (पचास) लाख रूपये व्यय की स्वीकृति तथा वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति के लिए विषय शीर्ष–3105–सहायक अनुदान परिसम्मत्तियों के निर्माण मद में बिहार कृषि विश्वविद्यालय को ₹153790000 रूपये (पन्द्रह करोड़ सैंतीस लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) की स्वीकृति के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु ₹61516000 रूपये (छः करोड़ पन्द्रह लाख सोलह हजार रूपये मात्र) की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–1772 दिनांक–11.04.2014 द्वारा किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉटिकल्चर रिसर्च सेन्टर तथा इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक तथा फिसरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर की स्थापना, उक्त संस्थानों की स्थापना के लिए पाँच वर्षो में कुल 992.00 (नौ सौ बेरानबे) करोड़ रू० व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति, स्थापना मद में प्रस्तावित पदों तथा इस पर होने वाले व्यय की समीक्षा करने तथा समीक्षोपरांत पुनः राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने, आधारभूत संरचना के विकास हेतु वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 तक 562.50 करोड़ (पाँच सौ बासठ करोड़ पचास लाख) रूपये की लागत से प्रशासनिक स्वीकृति, आकस्मिकता मद में 50.00 (पचास) लाख रूपये व्यय की स्वीकृति तथा वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति के लिए विषय शीर्ष–3105–सहायक अनुदान परिसम्मत्तियों के निर्माण मद में बिहार कृषि विश्वविद्यालय को ₹153790000 रूपये (पन्द्रह करोड़ सैंतीस लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत तत्काल व्यय हेतु ₹61516000 रूपये (छः करोड़ पन्द्रह लाख सोलह हजार रूपये मात्र) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹61516000 रूपये (छः करोड़ पन्द्रह लाख सोलह हजार रूपये मात्र) की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–मांग सं०–1–उप मुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0106–कृषि महाविद्यालय किशनगंज, विपत्र कोड–P2415017890106, विषयशीर्ष–31 05–सहायक अनुदान परिसम्मपत्तियों के निर्माण मद में वर्ष 2014–15 में में उपबंधित राशि ₹153790000 रू0 से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(दुर्गेश नन्दन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक 05 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 28-04-2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

ज्ञापांक 05 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 28-04-, 2014

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/ निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/वित्त विभाग, (बजट–शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा–04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।